

## राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प.4(5)कार्मिक/क-4/2006

जयपुर, दिनांक : 15.07.2017

### आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम-31 एवं विभागीय पदोन्नति निर्देशिका-2008 में उल्लेखित शर्तों पर राजस्थान तहसीलदार सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को पूर्णतया आवश्यक/अस्थाई रूप से तदर्थ नियुक्ति पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (श्री/डॉ./श्रीमती/सुश्री)	जन्म तिथि
1.	विशम्भरदयाल शर्मा/राधेश्याम	08.08.1959
2.	कृष्ण गोपाल जोजन/मोहनलाल (एससी)	08.03.1960
3.	प्रगति आसोपा/प्रेमशंकर	11.05.1976
4.	अंजना सहरावत/जयवीरसिंह	18.10.1981
5.	सीमा शर्मा/सतीश चन्द्र	13.10.1977
6.	सविना विश्नोई/रामगोपाल	22.07.1978
7.	रामचन्द्र खटीक/दौलतराम (एससी)	08.03.1977
8.	हंसमुख कुमार/अमृतलाल (एससी)	10.08.1977
9.	मूलचन्द लूणिया/शयोपालराम (एससी)	10.02.1973
10.	सांवरमल रैगर/गणेशराम (एससी)	15.06.1970
11.	रजनी माधीवाल/शांतिलाल (एससी)	04.05.1980
12.	सीता शर्मा/कुन्दनलाल	01.10.1967

उक्त अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार पोसवाल)

संयुक्त शासन सचिव

फोन नं० 0141-2227347

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्यसचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संबंधित अधिकारीगण।
11. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव